फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 97 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 6 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

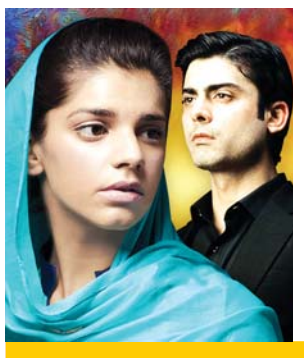
राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT



Why Pakistani Serials Are So...

Pakistani serials have become 'Crash Landing on You' for the Indian audience. Indian audiences encountered a picture of Pakistan quite different from the one they had in mind

Sing To Your Baby

Old Monk Sold On Flavour, Not Advertising

हिरासत की अवधि कब से मानी जाए?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक 24 घंटे की समय-सीमा उसी समय से शुरू हो जाएगी, जब उसे हिरासत में लिया जाता है, न कि उस समय से, जब पुलिस औपचारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी दर्ज करती है।

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ (बैंच) ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के संदर्भ में

> **सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जब से किसी व्यक्ति के आवागमन (फ्रीडम ऑफ मूवमैंट) पर रोक लगती है, तब से उसे हिरासत में माना जाना चाहिए, न कि उस समय से जब पुलिस औपचारिक रूप से हिरासत में लेने की कार्यवाही दिखाती है।**

"गिरफ्तारी" और "हिरासत" के बीच कोई बनावटी अंतर नहीं किया जा सकता। बैंच ने कहा कि यदि पुलिस को औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की हिरासत की अवधि को 24 घंटे की समय-सीमा से बाहर रखने की छूट दी जाती है, तो यह संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ होगा।

बैंच ने कहा, "यह मानना, कि 24 घंटे की अवधि केवल औपचारिक गिरफ्तारी के समय से शुरू होती है, संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 56 के प्रावधानों के विपरीत है।"

फैसले में कहा गया कि 24 घंटे की समय-सीमा की गणना करते समय केवल उसी समय को घटाया जा सकता है, जो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में उचित रूप से लगता है।

बैंच ने कहा कि औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की पूछताछ, जांच, तलाशी या जब्ती में लगने वाले समय को इस अवधि से बाहर नहीं रखा जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जॉन ओसॉफ : फ्रंट रनर?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 नवम्बर। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर जॉन ओसॉफ जॉर्जिया के मध्यावधि चुनावों में दोबारा जीत हासिल करने के बाद 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी के प्रमुख दावेदारों के रुप में सामने आए हैं। प्रैडिक्शन मार्केट, पॉलीमार्केट पर उनकी संभावनाओं में काफी तेजी आई है।

"द इंडिपैन्डैट" के आंकड़ों के अुसार 39 वर्षीय सीनेटर के डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की संभावना अब 24 प्रतिशत आंकी गई है, जो पिछले 24 घंटों में इसमें नौ प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। 2028 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने की उनकी संभावना भी काफी बढ़ी है और एक ही दिन में 10.5 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है।



